संख्याः 22/ 2021 /987-सत्रह-म/2021-17-1099/ 48/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2021

विषय-कोविड -19 महामारी के कारण जलाशयों के ठेकेदारों को हुई आर्थिक क्षति के क्रम में जलाशयों की किस्तों को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18/सा0शा0/कोविड-19-(26)/2021-22 दिनांक 18.07.2021 एवं पत्र संख्या-19/सा0शा0/कोविड-19-(26)/2021-22 दिनांक 19.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण जलाशयों के ठेकेदारों को हुई आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में श्रेणी-1 से श्रेणी-5 तक के जलाशयों की देय किस्तों को ब्याज रहित समान मासिक किस्तों में विभाजित कर लिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- वर्तमान में शासनादेश संख्या-24/2018/1263/सत्रह-म-2018-5(69)/81 दिनांक 27 अगस्त 2018 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार श्रेणी- 1 से श्रेणी-5 तक के जलाशयों के ठेके 10 वर्षीय हैं। श्रेणी-1 व 2 के ठेके की वार्षिक धनराशि की 25% की किश्त प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त तक एवं शेष 75% धनराशि 31 मार्च तक 7 समान मासिक किस्तों में जमा की जाती है।

इसी प्रकार श्रेणी- 3, श्रेणी-4 व श्रेणी- 5 के जलाशयों में शासनादेश सं0-24/2018/1263/ सत्रह-म-2016-5(69)/81 दिनांक 8 मार्च 2000 एवं शासनादेश दिनांक 27 अगस्त 2018 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार प्रथम वर्ष की धनराशि का 50% नीलामी समाप्त होने के तुरंत पश्चात एवं शेष 50% 3 माह में जमा करना होता है, जबकि द्वितीय वर्ष से वार्षिक धनराशि का 25% 15 जून तक, 25% 15 सितंबर तक एवं और शेष 50% 31 दिसम्बर तक जमा करना होता है। सभी श्रेणियों (श्रेणी -1 से श्रेणी-5 तक) के जलाशयों में किस्त की धनराशि जमा करने में देरी पर प्रतिमाह 2% ब्याज का प्राविधान है।

3- यह विदित है कि कोविड- 19 महामारी के दुष्प्रभाव का असर मत्स्य पालकों/ मत्स्य व्यवसायियों/ ठेकेदारो पर पड़ा है। वर्ष 2021 के अप्रैल एवं मई माह में कोरोना की दूसरी लहर से मत्स्याखेट में लगी जनशक्ति के पलायन के साथ-साथ महामारी का प्रभाव जलाशयों के संचालन पर भी पड़ा है। मत्स्य विक्रय, उसके सप्लाई चेन और मत्स्य परिवहन पर प्रतिकूल असर से मछली ठेकेदार अत्यन्त प्रभावित हुए हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- अतः जलाशयों के ठेकेदारों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं मा0 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध के क्रम में कोविड-19 के कारण जलाशयों के ठेकेदारों को हुई आर्थिक क्षति एवं समस्याओं के दृष्टिगत मत्स्य ठेका वर्ष 2020-21 की अप्रैल से जून की समयावधि एवं ठेका वर्ष 2021-22 में देय किश्तों की वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत शिथिलता प्रदान किए जाने पर विचार किया गया है-

(1) श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के जलाशयों के सम्बन्ध में-

(i) 16 अगस्त 2020 की 25% की किस्त के पश्चात अवशेष 75% की धनराशि को ठेके के अवशेष 10 माह के अनुसार सात मासिक किस्तों के स्थान पर 10 मासिक किस्तों में विभाजित किया जाए।

(ii) उक्त 10 मासिक किस्तों में से सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक की सात मासिक किस्तों को निर्धारित ब्याज सहित तत्काल जमा किया जाए, तभी अन्य शिथिलताएं/लाभ प्राप्त होंगें।

(iii) अप्रैल 2021 से जून 2021 तक की 3 मासिक किस्तों एवं निर्धारित ब्याज की गणना शासनादेश निर्गत किये होने की तिथि तक कुल धनराशि ठेका वर्ष 2021-22 हेतु अग्रनीत कर ली जाय।

(iv) उक्त अग्रनीत धनराशि एवं ठेका वर्ष 2021-22 की कुल निर्धारित धनराशि को जोड़कर कुल देय धनराशि को 10 समान किस्तों में विभाजित कर सितंबर 2021 से जून 2022 तक जमा करा लिया जाए।

(v) उक्त मासिक किस्तों को जमा करने में अधिकतम 1 माह के विलंब तक मयब्याज सहित धनराशि जमा करने की अनुमति दी जा सकती है, किसी भी दशा में अगामी देय किश्त के साथ पूर्व बकाया किश्त की धनराशि 02 प्रतिशत ब्याज सहित जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ठेके के सापेक्ष प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण देय धनराशि 30 जून, 2022 तक जमा करा ली जाय तथा 30जून, 2022 के उपरान्त कोई समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) श्रेणी-3 से श्रेणी-4 और श्रेणी-5 के जलाशयों के सम्बन्ध में-

(i) वर्ष 2020-21 के ठेके की कुल धनराशि के 9/12 भाग को तत्काल निर्धारित ब्याज सहित तत्काल जमा कर दिया जाए, तभी अन्य शिथिलताएं/लाभ प्राप्त होंगें।

(ii) शेष 3/ 12 भाग की धनराशि (अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के लिए) को ब्याज सहित धनराशि को ठेका वर्ष 2021-22 हेतु अग्रनीत कर किया जाए।

(iii) उक्त अग्रनीत धनराशि एवं ठेका वर्ष 2021-22 की कुल निर्धारित धनराशि को जोड़कर कुल देय धनराशि को 10 समान मासिक किस्तों में विभाजित कर सितंबर 2021 से जून 2022 तक जमा करा लिया जाए।

(iv) उक्त मासिक किस्तों को जमा करने में अधिकतम 1 माह के विलंब तक मयब्याज सहित धनराशि जमा करने की अनुमति दी जा सकती है, किसी भी दशा में अगामी देय किश्त के साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

पूर्व बकाया किश्त की धनराशि 02 प्रतिशत ब्याज सहित जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ठेके के सापेक्ष प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण देय धनराशि 30 जून, 2022 तक जमा करा ली जाय तथा 30जून, 2022 के उपरान्त कोई समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) यह शिथिलता उसी दशा मे प्रभावी होगी जब सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उपरोक्त व्यवस्थानुसार अनुपालन करने विषयक नोटरी शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो वर्तमान ठेका के अनुबन्ध का अंश होगा।

(4) जिन जलाशयों का ठेका किसी भी कारणवश निरस्त किया जा चुका है, उन जलाशयों को इस शिथिलता का लाभ प्राप्त नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का पुनर्विचार किया जाएगा।

(5) उक्त शिथिलता मात्र जून 2022 तक के लिए निर्धारित की जा रही है एवं मात्र उन ठेकों के लिए है जो जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि के मध्य निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे। वर्ष 2021-22 में निस्तारित या निस्तारित होने वाले मत्स्याखेट जलाशयों के ठेकों पर उक्त शिथिलिता प्रभावी/ लागू नहीं होगी।

(6) इस विशेष शिथिलिता को भविष्य में दृष्टांत के रूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) 30 जून 2022 के पश्चात पूर्ववर्ती/विद्यमान व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगी।

5- कृपया प्रकरण में उक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

http:// shasnadesh upnic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 22/2021/ 987(1)/ सत्रह-म-2021 तदिदनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
(6) प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0।
(7) निदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
(8) निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0।
(9) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
(10) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
(12) समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेश्क मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।